UPSI120001362004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ–सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी (कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421
सरकार बनाम सुशील कुमार।
CIS No–272/2004

अप०सं० 18/2004
धारा 4/10 P T Act
थाना सकरन, जनपद सीतापुर।

दिनाँक 23.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त सुशील कुमार अनुपस्थित हैं। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय के द्वारा अजमानतीय वारण्ट की आदेशिका जारी की गयी, जिस पर थाना सकरन द्वारा यह आख्या प्राप्त हुई की अभियुक्त सुशील कुमार को जानकारी की गयी तो अभि० उपरोक्त का पता नहीं चल पाया। प्रमाण पत्र सभासद के साथ संलग्न है।

अभियोजन की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। चूंकि अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है और उसके निकट भविष्य में उपस्थित होने की सम्भावना नहीं है एवं प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जुर्म स्वीकारोक्त के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त करायी जा चुकी है अतः ऐसी दशा में धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली निम्नलिखित दिशा निर्देशों के साथ दाखिल अभिलेखागार की जाती है।

1– पत्रावली पर लाल श्याही से अंकित किया जाये की पत्रावली विनष्ट किये जाने योग्य नहीं है।

2– अभियुक्त को विरुद्ध शाश्वत गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाये।

3– सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं SP को तत्काल प्रेषित की जाये।

4– अभियुक्त की उपस्थिति की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर प्रस्तुत की जाये।

दिनाँक 23.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ–सीतापुर।

दुर्गा शंकर/–

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.23 18:00:46 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan